

Government of India
Department of Telecommunications
Access Services Wing
20, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.16-1/2017/AS-III/Short Codes/7/750

Dated: 16/08/2017

To,
All Access Service Providers.

Subject:- Allotment of short code 1905 for Public Grievances and Redressal thereof, Uttarakhand Govt. regarding.

The undersigned is directed to convey the approval for allocation of short code '1905' for "Public Grievances and Redressal thereof" on Uttarakhand Samadhan Portal, to Govt. of Uttarakhand with following features:-

(i) Category-I: Service (i.e.mandatory service to be provided by all the Access providers).

(ii) Accessibility: Un-restricted i.e. available on STD also.

(iii) Metered service: (It may be taken as Called Party Pays or Calling Party Pays depending on intimation, to this effect, issued by the agency to which this short code is allocated in furtherance to this DoT instruction).

2. All are requested to take necessary action.

3. This is issued with the approval of Sr. DDG (AS).

S. Garg
16/08/2017
(Sanchit Kumar Garg)
ADG (AS-III)
Tel.:011-23372725

Copy forwarded for information and necessary action, if any, to:

1. Secretary, TRAI.
2. Additional Secretary, Department of Suraaj, Bhrashtachar Unmoolan and Jan Sewa, Government of Uttarakhand, Uttarakhand Secretariat, 4-Subhash Road, Dehradun- 248001.This is w.r.t to your letter dated 02-08-17.You are requested to appoint a nodal officer. The Nodal officer may contact DDG (TERM), TERM Cell, Uttarakhand).
3. CMD MTNL/ BSNL.
4. Director (TERM-I), DoT (HQ) (respective TERM Cell-Uttarakhand may be asked to co-ordinate with respective Nodal Officers and TSPs for implementation of Helpline, as and when approached).
5. A copy for upload on DoT Website.

भारत सरकार
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा स्कंध
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 16/08/2017

16-1/2017/एस-III/शॉर्ट कोड/7/756

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय:- उत्तराखंड सरकार को लोक शिकायतों और इनके निवारण हेतु शॉर्ट कोड '1905' का आवंटन करने के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को उत्तराखंड समाधान पोर्टल पर "लोक शिकायतों और इनके निवारण" हेतु शॉर्ट कोड '1905' को उत्तराखंड सरकार को आवंटित करने के लिए स्वीकृति देने का निदेश हुआ है। इस कोड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- (i) श्रेणी-I: सेवा (अर्थात् सभी अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवा)।
- (ii) अभिगम्यता: अप्रतिबंधित अर्थात् एसटीडी पर भी उपलब्ध।
- (iii) मीटर्ड सेवा: (मीटर्ड सेवा से आशय ऐसी सेवा से है जिसके अंतर्गत कॉल प्राप्त करने वाला पक्ष भुगतान करता है अथवा कॉल करने वाला पक्ष भुगतान करता है और यह भुगतान उस सूचना के मद्देनजर होता है जो इस प्रयोजन से उस एजेंसी द्वारा जारी की जाती है जिसको यह शॉर्ट कोड आवंटित किया गया हो तथा यह कार्रवाई दूरसंचार विभाग की हिदायत को ध्यान में रखते हुए की जाती है)।

2. सभी संबंधित से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।
3. यह पत्र वरिष्ठ उप महानिदेशक (एस) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संचित कुमार गर्ग
16/08/2017
(संचित कुमार गर्ग)

उप महानिदेशक (एस-III)

दूरभाष: 011-23372725

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. अपर सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सचिवालय, 4-सुभाष रोड, देहरादून-248001 को उनके दिनांक 02-08-2017 के पत्र के संदर्भ में प्रेषित। अनुरोध है कि आप एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने की कृपा करें। इस संबंध में नोडल अधिकारी उप महानिदेशक (टर्म), टर्म प्रकोष्ठ, उत्तराखंड से संपर्क कर सकते हैं।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल/बीएसएनएल।
4. निदेशक (टर्म-I), दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) (संबंधित टर्म प्रकोष्ठ-उत्तराखंड को संपर्क करने पर हैल्पलाइन के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नोडल अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करने के लिए कहा जाए)।
5. एक प्रति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।